न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आरएएस

राजस्व अपील संख्या : 12/11/2020

तारीख दायरा : 18.12.2020

उनवान

1. सुखराम मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना जाति मीना निवासी नांगल बास तहसील रैणी जिला अलवर।
2. ख्यालीराम मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना जाति मीना निवासी नांगल बास तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अपीलाण्ट।

बनाम

1. ग्राम पंचायत रैणी पंचायत समिति रैणी जिला अलवर जरिय सरपंच।
2. उषा देवी पत्नी स्व0 श्री नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
3. मोहित पुत्र स्व0 श्री नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्त माता उषा देवी (रेस्पोडेंट सं. 2)।
4. रोहित पुत्र स्व0 श्री नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्त माता उषा देवी (रेस्पोडेंट सं. 2)।
5. नेहा पुत्री स्व. श्री नत्थूराम जाति ब्राहमण निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर नाबालिग बसरपरस्त माता उषा देवी (रेस्पोडेंट सं. 2)।

............रेस्पो0।

(अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.07.2009 इतंकाल सख्या 2757 व दिनांक 10.09.2009 इंतकाल संख्या 348 ग्राम पंचायत रैणी)

न्यायालय द्वारा :–

दिनांक : 05.12.2022

:: निर्णय ::

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 721/0.50 किता 1 रकबा 0.50 है0 व खाता संख्या 38 आराजी खसरा नम्बर 4858/0.30, 4859/0.35 कुल किता 2 रकबा 0.65 है0 रैणी जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी में रेस्पोंडेंट संख्या 2 ला0 5 के श्वसूर व दादा स्व0 छगन लाल 1/2 हिस्से के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे जिनके द्वारा उक्त आराजी में स्वयं के हिस्से में से 0.50 है0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.06.2006 को अपीलांटस को कर दिया गया। अपीलान्टस उक्त क्रय की गई आराजी पर बाद खरीद से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का कुल रकबा 1.15 है0 है जिसमें स्व0 छगनलाल 1/2 हिस्से अर्थात 0.571/2 है0 रकबे का

काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके द्वारा 0.50 है0 भूमि का बेचान अपीलान्टस को किया गया। इस प्रकार स्व0 छगन लाल के पास उक्त आराजी में मात्र 0.07 1/2 है0 भूमि शेष रही किन्तु छगन लाल की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र अर्थात रेस्पोंडेंन्ट संख्या 2 ला0 5 के पति व पिता नत्थूराम के आवेदन पर रेस्पोंडेंन्ट संख्या 1 द्वारा हाल खाता संख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 721/0.50 है0 के 1/2 हिस्से का इन्तकाल संख्या 2757 दिनांक 06.07.2009 तथा खाता संख्या 38 आराजी खसरा नम्बर 4858/0.30, 4859/0.35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 के 1/2 हिस्से का इन्तकाल संख्या 348 दिनांक 10.09.2009 को नत्थूराम के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया। जिसके आधार पर नत्थूराम उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये, जो इन्तकाल खिलाफ मौका व कानून थे। स्व0 छगन लाल द्वारा पूर्व में ही उक्त आराजी में स्वयं के हिस्से में से 0.50 है0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.06.2006 को अपीलान्टस को कर दिया गया। जिस पर अपीलान्टस उक्त क्रय की गई आराजी पर बाद खरीद से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में स्व0 छगन लाल की विरासत का इंतकाल संख्या 2757 व 348 बमुकाबले अपीलांटस बातिल व बेअसर करार देते हुए उक्त आराजी के कुल 0.50 है0 रकबे का अपीलांटस को व 0.07 1/2 है0 रकबे का रेस्पोंडेंट संख्या 2 ला0 5 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। वर्तमान में उक्त आराजी के खातेदार व रेस्पोंडेंट संख्या 2 ला0 5 के पति व पिता नत्थूराम का देहान्त हो चुका है। इस कारण रेस्पोडेंट संख्या 2 ला0 5 नत्थूराम की विरासत का इन्तकाल स्वयं के पक्ष में दर्ज कराते हुए अपीलांटस को उनकी क्रयशुदा आराजी से बेदखल करने पर उतारू है जिसका इरादा रेस्पोंडेंट सं. 2 ला. 5 द्वारा अपीलान्टस के समक्ष दिनांक 30.11.2020 को जाहिर कर दिया गया। इस कारण अपीलांटस को अपने अधिकारों की रक्षार्थ उक्त अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर मृतक छगन लाल के 1/2 हिस्से की विरासत का इन्तकाल जो रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा हाल खाता संख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 721/0.50 है0 के संबंध में दिनांक 06.07.2009 को तथा खाता संख्या 38 आराजी खसरा नम्बर 4858/0.30, 4859/0.35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम रैणी जिला अलवर के संबंध में दिनांक 10.09.2009 को रेस्पोंडेंन्ट सं. 2 ला0 5 के पति व पिता नत्थूराम के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, को बमुकाबले अपीलांटस बातिल व बेअसर करार देते हुए उक्त आराजी के कुल 0.50 है0 रकबे का अपीलान्टस के व 0.07 1/2 है0 रकबे का रेस्पोंडेंट सं. 2 ला0 5 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ला0 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट को सुना गया। अपीलाण्ट का कथन है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 ला0 75 हाल खाता संख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 721/0.50

कुल किता 1 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम रैणी ए तहसील रैणी जिला अलवर व खाता संख्या 38 आराजी खसरा नम्बर 4858/0.30, 4859/0.35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम रैणी बी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ला0 5 के श्वसुर व दादा स्व0 छगनलाल 1/2 हिस्से के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे, उक्त भूमि में से 0.50 है0 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.06.2006 को अपीलांटस को कर दिया। इस प्रकार स्व0 छगनलाल के पास 0.07 1/2 है0 भूमि शेष रही लेकिन छगनलाल की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र अर्थात रेस्पोडेंट सं. 2 ला. 5 के पति व पिता नत्थूराम के आवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा हाल खाता संख्या 45 आराजी खसरा नम्बर 721/0.50 है0 के 1/2 हिस्से का इन्तकाल संख्या 2757 दिनांक 06.07.2009 तथा खाता संख्या 38 आराजी खसरा नम्बर 4858/0.30, 4859/0.35 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 के 1/2 हिस्से का इन्तकाल संख्या 348 दिनांक 10.09.2009 को नत्थूराम के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार कर लिया गया जिसके आधार पर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये, जो इन्तकाल खिलाफ मौका व कानून थे, को बमुकाबले अपीलान्टस बातिल व बेअसर करार देते हुए उक्त आराजी के कुल 0.50 है0 रकबे का अपीलान्टस के व 0.07 1/2 है0 रकबे का रेस्पोंडेंट संख्या 2 ला0 5 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073–75, जमाबन्दी 2065–68, इन्तकाल संख्या 348, 2757, रजिस्टर्ड बैयनामा की छाया प्रति पेश की है। सरपंच ग्राम पंचायत रैणी द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि "सुखराम मीना पुत्र श्री रामसहाय एवं ख्यालीराम मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना द्वारा क्रय की गई भूमि का रजिस्ट्री मुताबिक क्षेत्रफल जो स्व0 छगनलाल द्वारा अपना हिस्से 1/2 रिकॉर्ड अनुसार काबिज थे जिसमें से 0.50 है0 भूमि का बेचान अपीलान्टस को कर दिया गया। अतः 0.50 है0 भूमि का अपीलान्टस के नाम इन्तकाल करने एवं 0.07 1/2 है0 रकबे का रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 ला0 5 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करने पर ग्राम पंचायत रैणी को कोई आपत्ति नही है।"

योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–75, जमाबन्दी 2065–68, इन्तकाल संख्या 348, 2757, रजिस्टर्ड बैयनामा एवं सरपंच ग्राम पंचायत रैणी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की और से प्रस्तुत दस्तावेज व रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट से अपील अपीलान्ट सही होने की पुष्टि होती है तथा रेस्पोडैन्ट की और से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा इंतकाल संख्या 2757 आदेश दिनांक 06.07.2009 एवं इन्तकाल संख्या 348 दिनांक 10.09.2009 ग्राम पंचायत रैणी का निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपीलाण्ट के वास्तविक रकबे की सम्यक जॉच कर पुनः विधिसम्मत इतंकाल निर्णित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.12.22

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

क्रमांक: राजस्व/2023/906 दिनांक 15/09/23

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार रैणी को भेजकर लेख है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 05/12/2022 की पालना करना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर